



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-23.11.2022

थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अभियुक्त राजेश भारती सूर्या गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सहायता से जिला बदर अभियुक्त राजेश भारती सूर्या पुत्र स्व० सुखदेव राम भारती निवासी एस एच 19/84 एल-1 बुद्ध बिहार भीम नगर सेन्ट्रल जेल रोड कचहरी थाना कैण्ट वाराणसी को दिनांक-22/11/22 को समय करीब 16.15 बजे दैत्रावीर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-546/2022 धारा 3/10 उ०प्र० गुण्डा नि० अधि० 1970 पंजीकृत कर, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेश भारती सूर्या पुत्र स्व० सुखदेव राम भारती निवासी एस एच 19/84 एल-1 बुद्ध बिहार भीम नगर सेन्ट्रल जेल रोड कचहरी थाना कैण्ट वाराणसी, उम्र करीब 46 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 320/21 धारा 354(ख), 384, 452, 504, 506 थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. मु०अ०सं० 367/17 धारा 447,504,506 भादवि थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. मु०अ०सं० 385/21 धारा 323,504,506 भादवि थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. मु०अ०सं० 400/21 धारा 384, 504 भादवि थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. मु०अ०सं० 410/21 धारा 406,420,504,506 भादवि थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
6. मु०अ०सं० 421/17 धारा 504,506 भादवि थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
7. मु०अ०सं० 741/17 धारा 504,506 भादवि थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० विनोद मिश्रा चौकी प्रभारी कचहरी थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ०नि० हिमांशु त्रिपाठी थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. का० सचिन मिश्रा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी